247

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा.

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी
निग 1080-III-15

रेवा प्रसाद तनय अमृतलाल, निवासी ग्राम–पोड़ी (बस्तुआ), तहसील–कुसुमी, जिला–सीधी (म0प्र0) ————आवेदक

बनाम

1. दशरथ यादव तनय चन्दू यादव निवासी ग्राम–पोड़ी (बस्तुआ), तहसील–कुसुमी, जिला–सीधी (म0प्र0)
2. शासन म0प्र0 ———अनावेदकगण

श्री. सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय एड के द्वारा आज दिनांक 15-4-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5148 रजिस्टर्ड ... आज दिनांक ... को प्राप्त ... राजस्व ... ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश कलेक्टर सीधी, जिला–सीधी दिनांक 09.03.2015 जो प्रकरण क्र. 1/निगरानी/2014–15 में पारित किया जाकर अनावेदक क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गई.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक क्र. 1 की निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार कुसुमी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.1991 को निरस्त करने में एक महान कानूनी भूल की है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में एक महान भूल की है कि आवेदक का कब्जा खसरों में बाद में लिखा गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की यह तजवीज सर्वथा गलत एवं बिना आधार

(247)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1000-III / 15** जिला– सीधी

रेवा प्रसाद / दशरथ यादव

(1)	(2)
19.12.18-	1. आवेदक की ओर से श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 1 / निगरानी / 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य